पत्र संख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र/2008/ 0910015 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेकपोस्ट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 0306- 2009

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर /एडीश्नल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/कार्यपालक) /
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/सचलदल) /
वाणिज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0/सचलदल)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र-2008// 0809100// वाणिज्य कर दिनांक 03-02-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों के लिए माल के परिवहन के दौरान जॉच के संबंध में विस्तार से निर्देश जारी किये गये है ।

2. इस परिपत्र में पंजीकृत व्यापारियों के संबंध में निर्देशात्मक बिन्दु -4 में स्पष्ट निर्देश है कि फार्म 38 के कालम संख्या-6 में अंकित बिल / कैशमेमों / चालान / टैक्स इनवायस आदि में से कोई एक भी प्रपत्र फार्म 38 के साथ उपलब्ध है तथा उसकी प्रविष्टि कालम 6 में है तो माल को नही रोका जाएगा । इसी परिपत्र के निर्देशात्मक बिन्दु संख्या-6 में प्रदेश के पंजीकृत व्यापारी द्वारा विदेश से आयातित माल के बारे मे यदि साक्ष्य उपलब्ध है तो प्रपत्र 38 का स्तम्भ 6 यदि भरा न हो तो भरा लेने एवं वाहन जाने देने हेतु निर्दिष्ट किया गया है । कतिपय सचलदल अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का आशय यह लिया जा रहा है कि यदि फार्म 38 के कालम संख्या-6 में अंकित बिल /कैशमेमों / चालान / टैक्स इनवायस आदि मे से कोई भी एक प्रपत्र फार्म 38 के साथ उपलब्ध हो तथा फार्म 38 के कालम 6 मे ऐसे किसी प्रपत्र की संख्या व तिथि का अंकन न किया गया हो तो भी माल को न रोका जाए । यह नितान्त आपत्तिजनक एवं उक्त परिपत्र की भावना के विपरीत है ।वस्तुत: विदेश से आयात की स्थितियॉ कम होती हैं जबकि देश के अंदर से प्राय: माल आयात किया जाता है । स्पष्ट है कि विदेश से माल आयात में प्रपत्र 38 के दुरुपयोग की संभावना न्यून रहती है जबकि देश के अंदर के माल आयात में प्रपत्र 38 के दुबारा प्रयोग की पूर्ण संभावनाएँ रहती हैं । प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों मे प्रपत्र 38 का स्तम्भ संख्या-6 रिक्त रखकर उक्त प्रपत्र का एक से अधिक बार प्रयोग किये जाने की घटनायें प्रकाश मे आयीं हैं । इस प्रकार प्रपत्र 38 का दुरुपयोग रोकने एवं करापवंचन को रोकने की दृष्टि से स्तम्भ 6 का भरा होना अत्यन्त आवश्यक है ।

3. अत: निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 03-02-09 के उक्त निर्देश बिन्दु 6 मे अंकित स्थिति को छोड़कर अन्य मामलों मे यदि फार्म 38 के कालम 6 में अंकित बिल / कैशमेमों / चालान / टैक्स इनवायस आदि किसी एक प्रपत्र की संख्या तथा तिथि का अंकन नही किया गया है तो माल को अभिग्रहीत कर विधिक कार्यवाही की जाए । इस संबंध में स्थानीय व्यापारिक संगठनों के माध्यम से पंजीकृत व्यापारियों को सम्यक रुप से अवगत भी करा दिया जाए ताकि उनमें प्रपत्र 38 की अन्य प्रविष्टियों के समान स्तम्भ सं0-6 की प्रविष्टियॉ भी अपूर्ण रहने पर माल का अभिग्रहण न किये जाने की भ्रान्ति न रहे और अनावश्यक रुप से वादग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न न हो ।

निर्देशों का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(अनिल संत)
कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन , सचिवालय , लखनऊ ।
2- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
4- संयुक्त निदेशक , प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमती नगर , लखनऊ ।
5- समस्त अनुभाग / अधिकारी वाणिज्य कर , मुख्यालय , लखनऊ / चेकपोस्ट अनुभाग को 25 प्रतियॉ अतिरिक्त

(वी0पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ ।